३०/७/२४ पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अथवा प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। बार-बार आवाज लगवाई गई। बावजूद आवाज के भी कोई उपस्थित नहीं आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.08.29 13:05:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)